

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

गरीब को बेहतर जीवन और सुलभता से अन्न मिले यही लक्ष्य- प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण अन्न योजना अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण समारोह आयोजित

रतलाम 07 अगस्त । हर गरीब को बेहतर जीवन सुविधाएं प्राप्त होंए अच्छा भोजन मिलेए सुलभता से अन्न मिले और उनका पूर्ण विकास हो यही लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान इस लक्ष्य को लेकर प्रत्येक गरीब को अन्न उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश के सभी पात्र हितग्राही इस योजना का लाभ लेकर खुशहाल हैं।

उक्त विचार जिला प्रभारी मंत्री माननीय श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत आयोजित निःशुल्क खाद्यान्न वितरण समारोह में व्यक्त किए। बरबड़ स्थित विधायक सभागृह पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में रतलाम शहर विधायक श्री चौतन्य काश्यपए श्री राजेंद्रसिंह लुनेराए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तमए जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारीए अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़ेए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया सहित जनप्रतिनिधिगणए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यए निगरानी समिति सदस्य एवं हितग्राही मौजूद थे।

प्रभारी मंत्री माननीय श्री भदौरिया ने इस अवसर पर कहा कि आज पूरे प्रदेश में इस आयोजन के माध्यम से साढ़े 25 हजार से अधिक दुकानों पर गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रतलाम जिले में भी 521 उचित मूल्य दुकानों पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिले के 2 लाख 28 हजार 338 परिवारों के 9 लाख 51 हजार 824 सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्रीजी की मंशा के अनुरूप हर नागरिक की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति हितग्राही मई माह से नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उन्होंने सभी उपस्थित हितग्राहियों से आह्वान किया कि वे शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के सन्देश का वाचन भी किया।

विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चौतन्य काश्यप ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कर गरीबों को कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान भी निःशुल्क खाद्यान्न वितरण से कई परिवारों को काफी सहायता प्राप्त हुई थी।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ

बरबड़ स्थित विधायक सभागृह में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम सहित नगर की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर राज्य स्तर से आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुछ जिलों के हितग्राहियों से संवाद किया तथा उद्बोधन दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने उद्बोधन से हितग्राहियों को इस योजना से जोड़ा।

आकर्षक बैग में खाद्यान्न वितरित

कार्यक्रम में अतिथियों ने आकर्षक बैग में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित किया गया। मंच से नयागांव रतलाम क्षेत्र की हितग्राही वर्षा पांचाल, निर्मला, सुरेश यादव, लक्ष्मण कचरूलाल, सुरेश मोतीलाल एवं अन्य हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित किया गया। प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन श्री आशीष दशोत्तर ने किया तथा आभार प्रदर्शन जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस. एच. चौधरी ने किया।

आयुष्मान कार्ड बनाने का कैंप भी लगा

समारोह स्थल पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप भी आयोजित किया गया था। उपस्थित लोगों ने इसका भी लाभ लिया। उल्लेखनीय है कि शहर में उचित मूल्य दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाने के विशेष कैंप निरंतर लगाए जा रहे हैं और यहां नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। समारोह स्थल पर भी उपस्थित हितग्राहियों ने आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी ली एवं कार्ड भी बनवाए।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

7 अगस्त को 87 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 07 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 07 अगस्त शनिवार को 87 टन कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

07 अगस्त शनिवार को डम्पर व टे^aक्टर ट्रॉली से 40280ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 28870ए काम्पेक्टर गीला कचरा 17855ए मैजिक 815 किलो इस तरह कुल 87820 किलो कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 07 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 07 अगस्त को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारीए झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर धर्मन्द्र बिरियाखेड़ी पर 1000ए रिचा किराना स्टोर उंकाला रोड पर 250ए बग्गा सायकल शहर सरायए महक स्टोर धानमण्डी पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए किरण चौहानए विनय चौहान द्वारा की गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931ए श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932ए श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 07 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में

कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक ए आधार कार्ड ए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

1221 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 07 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों ए सड़को ए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 07 अगस्त तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1221 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 07 अगस्त को सैलाना रोड ए महु रोड ए सैलाना बस स्टैण्ड आदि क्षेत्रों से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों ए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने किये व्यापक प्रबंध

रतलाम 07 अगस्त । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर रेडियम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालियों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग एवं कर्मशाला विभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो० नं० 9300885504ए ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो० नं० 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो० नं० 9907454456ए अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर

मो० नं० 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय
मो० नं० 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट
मो० नं० 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश
व्यास मो० नं० 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री
सुनील कपूर मो० नं० 9644000433 को नियुक्त किया गया है । आश्रय
स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास मरकाम उपयंत्री
को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से
समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों
का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी
है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वितरण के लिये
आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के
लिये पम्प आदि की व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी
कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लिए आवश्यक
व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-
गली सब्जी-फल आदि के विनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक
से दल गठित करना तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-
नालियों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न
हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमित रूप
से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक
संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य
अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश
हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधित
को दिये हैं।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये
नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्थापित कर उपयंत्रियों
एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले नालियों की सफाई वर्षा के जल को बड़े नालों में मिलाना वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालियों का निर्माण करना अतिवृष्टि स्थल पर विद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करना आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखना तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 07 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्राइवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर व दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्राइवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा

डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/07०8०2021धन.पा.निगमए रतलाम.